Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 67-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 19, 2017 (CHAITRA 29, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 अप्रैल, 2017

संख्या 13/1/2017–6टी०(1).– मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निर्देश देते हैं कि नीचे दी गई खाना 2 में विनिर्दिष्ट धाराओं के अधीन दण्डनीय अनुसूची के खाना 3 में वर्णित अपराधों के अभियोजन की संस्थापना के या तो पहले या बाद, परिवहन आयुक्त, अपर परिवहन आयुक्त और सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उक्त अनुसूची के खाना 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट धाराओं के अधीन अपराधों के सम्बन्ध में कॉलम 4 तथा 5, में निर्दिष्ट राशि के लिए प्रशमित किए जाएँगे।

अनुसूची

क्र0 सं0	धारा	अपराध का विवरण	प्रशमन शुल्क	
			प्रथम अपराध	द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध
1	2	3	4	
1	177	मोटरयान अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए यदि कोई जुर्माना प्रस्तावित न किया गया हो जैसे कि:–		
		(i) रोगी को ले जाते समय एम्बुलैंस को निर्विघ्न मार्ग उपलब्ध न करवाना	₹2000	₹5000
		(ii) यात्री वाहन में माल ले जाना	₹2000	₹5000
		(iii) मौके से भाग जाना	₹500	₹1000
		(iv) उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एच.एस.आर.पी.) के बिना	₹500	₹1000
2	180	अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना		
		(i) चालन अनुज्ञप्ति के बिना वाहन का प्रयोग करने वाला चालक	₹1000	₹2000
		(ii) कम आयु के चालक द्वारा वाहन का प्रयोग	₹1000	₹2000
		(iii) सीखने की अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में वाहन का प्रयोग करने वाला चालक	₹1000	₹2000

3	181	धारा 3 या 4 के उल्लंघन में वाहन चलाना		
		(i) बिना चालक अनुज्ञप्ति के वाहन चलाना	₹1000	₹2000
		(ii) कम आयु में वाहन चलाना	₹1000	₹2000
		(iii) सीखने की अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में वाहन चलाना	₹1000	₹2000
4	194(1)	अनुमोदित भार इत्यादि से अधिक वाहन चलाना (i) अनुमोदित भार ढोने की क्षमता से 25 प्रतिशत् से अधिक तक भार ढोना	अधिक भार को उतारने के लिए प्रभारी के भुगतान के दायित्व सहित न्यूनतम दो हजार रुपये और प्रति टन अधिक भार पर एक हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना	
		(ii) अनुमोदित भार से 25 प्रतिशत् से अधिक भार ढोना	अधिक भार को उतारने के खर्च के भुगतान के दायित्व सहित न्यूनतम पांच हजार रुपये और प्रति टन अधिक भार पर दो हजार रूपये का अतिरिक्त जुर्माना	

एस० एस० ढिल्लों,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 19th April, 2017

No. 13/1/2017-6T(1).— In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 200 of Motor Vehicles Act, 1988(Central Act 59 of 1988), the Governor of Haryana hereby directs that the offences mentioned in column 3, punishable under sections specified in column 2 of the schedule given below shall either before or after the institution of the prosecution be compounded by the Transport Commissioner, Additional Transport Commissioner and Secretaries, Regional Transport Authorities within their respective jurisdiction for the amount specified in columns 4 and 5 of the said Schedule.

Schedule

Serial Number	Section	Description of offence	Compounding fee	
			First offence	Subsequent offence
1	2	3	4	
1	177	Contravention of any provision of the MV Act or of any rule, regulation or notification made thereunder, if no penalty is provided for the offences such as:-		
		(i) Non providing of smooth passage to the ambulance while carrying the patient	₹2000	₹5000
		(ii) Carrying goods on passenger vehicle	₹2000	₹5000
		(iii) Run away from the spot	₹500	₹1000
		(iv) Without High Security Registration Plate (H.S.R.P)	₹500	₹1000
2	180	Allowing unauthorized person to drive vehicles.		
		(i) Driver using vehicle without holding driving licence	₹1000	₹2000
		(ii) Driver using vehicle who is under age	₹1000	₹2000
		(iii) Driver using vehicle in contravention of the conditions of learning licence	₹1000	₹2000

3	181	Driving Vehicle in contravention of Section 3 or 4		
		(i) Drives vehicle without holding driving licence	₹1000	₹2000
		(ii) Drives vehicle under age	₹1000	₹2000
		(iii) Drives vehicle in contravention of the conditions of learning licence	₹1000	₹2000
4	194(1)	Driving vehicle exceeding permissible weights etc. (i) Vehicle carrying overload upto 25% of the permissible load carrying capacity	Minimum fine of two thousand rupees and an additional amount of one thousand rupees per tonne of excess load, together with the liability to pay charges for offloading of excess load	
		(ii) Vehicle carrying overload,above 25% of the permissible load carrying capacity	Minimum fine of five thousand rupees and an additional amount of two thousand rupees per tonne of excess load, together with the liability to pay charges for offloading of excess load.	

S.S. DHILLON,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Transport Department.